

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं० - 15/औ०-01-29/2026-...../स्वा० पटना, दिनांक -2026

श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय-01 एव 02 (सम्प्रति निलंबित) के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (एवं नियम- 24) के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-602(15ए), दिनांक-03.07.2026 द्वारा उनके विरुद्ध पारित निलंबन आदेश को रद्द करने एवं जीवनयापन भत्ता प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन/अभ्यावेदन में यह उल्लेख किया गया है कि श्री दीपक का निलंबन आदेश उनके विरुद्ध दर्ज थाना कांड संख्या-118/26 पर आधारित है।

2 उल्लेखनीय है कि श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय-01 एव लखीसराय-02 सम्प्रति निलंबित का उनके द्वारा कार्य/दायित्व के प्रति लापरवाही, मनमानेपन, उदासीनता एव वरीय पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना के लिए नियमानुसार उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-602(15ए), दिनांक-03.07.2026 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है न कि उनके विरुद्ध रामगढचौक, लखीसराय थाना कांड संख्या-118/26, दिनांक-17.06.2026 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर। श्री दीपक के उक्त अभ्यावेदन के आलोक में उनके निलंबनादेश की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त निलंबन संबंधी अधिसूचना विधिसम्मत है तथा उक्त अधिसूचना के कंडिका-04 में निलंबन अवधि में श्री दीपक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य किया गया है।

3 अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री दीपक कुमार राम द्वारा निलंबन आदेश को रद्द करने हेतु किये गए अनुरोध संबंधी आवेदन/अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-602(15ए), दिनांक-03.07.2026 के आलोक में वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग से वेतन पूर्जा निर्गत करवाकर निलंबन अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान के लिए वर्तमान निर्धारित मुख्यालय/कार्यालय के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। तदालोक में संबंधित निकासी एव व्ययन पदाधिकारी नियमानुसार श्री दीपक को जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करेंगे।

4 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

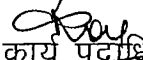
ज्ञापांक- 15/औ०-01-29/2026-1020(15A)/स्वा० पटना, दिनांक-17/09/2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



- प्रतिलिपि : विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप औषधि नियंत्रक, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय—01 एवं 02 सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय उप औषधि नियंत्रक प्रशासन का कार्यालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
१३